खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कटौती के अधीन रहते हुए है और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करता है।

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2006 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान कतिपय मामलों में "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए दरें वहीं होंगी जो वित्त अधिनियम, 2006 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, विनिर्दिष्ट हैं।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(iii) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और कतिपय दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग का पैरा क प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार बनी रहेंगी-

1,10,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
1,10,001 से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, छूट की सीमा 1,35,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,-

1,45,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
1,45,001 से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक आयु का है, छूट की सीमा 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,-

1,95,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
1,95,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पैरा क यह और उपबंध करता है कि संगणित आय-कर की रकम में से, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे-निगमित हो या, न हो, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर को ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय आय कर और अधिभार की कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा क यह भी उपबंध करता है कि संगणित आय-कर की रकम में, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा क में उद्गृहीत अधिभार की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ग प्रत्येक फर्म के लिए अधिभार की दर का उपबंध करता है। पैरा ग में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। प्रत्येक देशी कम्पनी की दशा में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ङ यह और उपबंध करता है कि देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कम्पनी की दशा में, कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ङ कंपनियों की दशा में अधिभार की दर का भी उपबंध करता है। पैरा ङ में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पैरा ङ में यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

यह भी प्रस्ताव है कि सभी दशाओं में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर पर, उद्गृहीत किया जाता रहेगा जिससे भारत सरकार की सार्वत्रिक रूप से क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा का उपबंध करने और उसे वित्तपोषित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

यह भी प्रस्ताव है कि सभी दशाओं में "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) के एक प्रतिशत की दर पर, उद्गृहीत किया जाता रहेगा जिससे भारत सरकार की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का उपबंध करने और उसे वित्तपोषित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। यह अतिरिक्त अधिभार ऐसी दशाओं में उद्गृहीत किया जाना है, जहां वित्तिय वर्ष 2007-2008 के दौरान कतिपय मामलों में स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है या आय-कर प्रभारित किया जाना है।

विधेयक का **खंड 3**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा के अधीन "अपर आयुक्त" और "अपर निदेशक" की प्रत्यक्ष रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस समय उन्हें खंड (28ग) और खंड (28घ) में क्रमशः संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निदेशक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। अब स्पष्टीकारक प्रयोजनों के लिए इन दोनों पदों को पृथक् रूप से परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा में खंड (1ग) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अपर आयुक्त" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। उक्त धारा में खंड (1घ) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अपर निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून से 1994 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा 2 के खंड (7क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध किया गया है कि "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उप निदेशक या आय-कर अधिकारी, जिसमें धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है और संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, जिसे उस धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन इस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त खंड (7क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "निर्धारण अधिकारी" की परिभाषा में अपर आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त खंड (7क) का संशोधन किया जाए जिससे कि "निर्धारण अधिकारी" की परिभाषा में अपर निदेशक को सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन भी स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा में खंड (9ख) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे कि "सहायक निदेशक" को धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति के अर्थ में परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा का खंड (14) "पूंजी आस्ति" पद की परिभाषा का उपबंध करता है, जिससे किसी निर्धारिती द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, वैयक्तिक चीजबस्त नहीं है। उक्त खंड का उपखंड (ii) निर्धारिती या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए धारित वैयक्तिक चीजबस्त (जिसके अंतर्गत पहनने के कपड़े और फर्नीचर है किंतु आभूषण नहीं है) के प्रतिनिर्देश करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे "वैयक्तिक चीजबस्त" पद से आभूषण, पुरातत्वीय संकलन, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्तियां या किसी अन्य कलाकृति को अपवर्जित किया जा सके ताकि उसे "पूंजी आस्ति" की परिभाषा की परिधि के भीतर लाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया उपखंड (vi) 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया था जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी कोई धनराशि, जिसका सकल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् प्रतिफल के बिना प्राप्त की जाती है, वहां ऐसी राशि का संपूर्ण मूल्य, ऐसे व्यक्तियों से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो उस उपखंड के परंतुक में उपबंधित हैं, प्राप्त धनराशि के सिवाय, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार प्राप्त राशि अन्य स्रोतों से आय मानी जाती है किंतु वह धारा 2 के खंड (24) के अधीन 'आय' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं की गई है, अतः अब उक्त खंड (24) में एक नया उपखंड (xiv) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन प्राप्त आय को आय की परिभाषा में सम्मिलित की जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (25क) में यह उपबंध है कि भारत में दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित समझा जाएगा। उक्त परिभाषा धारा 6 के प्रयोजनों के लिए किसी अवधि के संबंध में है और 1 अप्रैल, 1963 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ष में सम्मिलित किसी अवधि के संबंध में है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त खंड को एक नए खंड से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 25 अगस्त, 1976 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जो ऐसी "आय" से संबंधित है, जो प्राप्त हुई समझी जाएगी।

उक्त धारा के खंड (iii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय, पूर्ववर्ष में प्राप्त हुई आय समझा जाएगा।

उक्त खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ष में किसी अन्य नियोजक द्वारा धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किए गए अभिदाय को भी, पूर्ववर्ष में प्राप्त हुई आय समझा जाएगा।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय के संबंध में है।

धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों में ऐसी स्थितियों का उपबंध है जिनमें आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है।

उक्त धारा का यह कथन करते हुए, उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां आय उपधारा (1) के खंड (v), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है, वहां ऐसी आय अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी चाहे अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1976 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो कुल आय में सम्मिलित न की गई आय से संबंधित है।

धारा 10 में एक नया उपखंड (10खग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यष्टि या उसके विधिक वारिस द्वारा किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी, उस विस्तार तक, प्राप्त या प्राप्य रकम को छोड़कर, जिस तक ऐसे व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से कोई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है उसमें "आपदा" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) के स्पष्टीकरण में "अनुसूचित बैंक" पद को धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में दिए गए उसके अर्थ में परिभाषित किया गया है। परिणामस्वरूप किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत साधारण निवासी नहीं है, विदेशी मुद्रा में निक्षेपों पर किसी सहकारी बैंक द्वारा संदेय ब्याज आय-कर से छूट प्राप्त नहीं है।

उक्त मद (चक) के स्पष्टीकरण का, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण में दी गई "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा के संशोधन की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव है जो सहकारी बैंक को उक्त परिभाषा की परिधि से अपवर्जित करती है। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (15) के उपखंड (vii) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर ब्याज कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उक्त उपखंड (vii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा जारी किए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए बंधपत्रों पर ब्याज को भी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

"राज्य पूलकृत वित्त एकक" पद को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (23खघघ) यह उपबंध करता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "ए एस ओ एस ए आई - सेक्रेटेरियट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरियट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दि सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत सात पूर्ववर्षों के लिए कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त छूट को 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की और अवधि तक बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक के संबंध में लागू होगा।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की आय को छूट देने की दृष्टि से उक्त धारा में एक नया खंड (23खखछ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के उपबंधों में यह उपबंध है कि पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी निधि या संस्था की आय को, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में, अधिसूचित करे, छूट प्रदान की जाएगी।

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि ऐसे किसी न्यास (जिसके अंतर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है) या संस्था की आय को, जो पूर्णतः सार्वजनिक, धार्मिक प्रयोजनों के लिए है अथवा पूर्णतः सार्वजनिक, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचित करे, छूट प्रदान की जाएगी।

उक्त उपखंड (iv) और उपखंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त छूट उसमें निर्दिष्ट ऐसे एककों को भी अनुज्ञात की जा सके, जिनका विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाए।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक में, यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार ऐसी निधि या न्यास या संस्था को अधिसूचित करने से पूर्व या विहित प्राधिकारी उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, ऊपर निर्दिष्ट एककों से आवश्यक दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा तथा ऐसे एककों के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के लिए जांच कर सकेगा।

उक्त दूसरे परंतुक के स्थान पर एक नया परंतुक रखे जाने का प्रस्ताव है जिससे कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिर्देश को हटाया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि विहित प्राधिकारी, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग कर सकेगा और ऐसी जांच कर सकेगा।

धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां पहले परंतुक के अधीन कोई आवेदन, उस तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है, जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है वहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या आवेदन को खारिज करने वाला कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर जारी की जाएगी अथवा पारित किया जाएगा।

उक्त उपखंडों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अतिरिक्त उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित करने के उद्देश्य से उक्त नौवें परन्तुक का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

धारा 10 के खंड (23ग) के विद्यमान तेरहवें परंतुक में, अन्य बातों के साथ, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय परिस्थितियों में विखंडित किए जाने का उपबंध है।

उक्त तेरहवें परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुमोदन को वापस लेने के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

पन्द्रहवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे सभी लंबित आवेदन, जिनकी बाबत 1 जून, 2007 से पूर्व उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, उस दिन विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी उन उपखंडों के अधीन उस प्रक्रम से, जिन पर वे उस दिन थे, ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

ये संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं और 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा में एक नया खंड (23डग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे वस्तु एक्सचेन्जों और उसके सदस्यों से भारत में वस्तु एक्सचेन्जों द्वारा या तो संयुक्ततः या पृथक्तः स्थापित की गई ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की, अभिदाय के रूप में प्राप्त ऐसी किसी आय को, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, छूट प्रदान की जा सके।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई ऐसी रकम, जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं हुई है, किसी वस्तु एक्सचेन्ज के साथ पूर्णतः या भागतः बांटी जाती है वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार आय-कर से प्रभार्य होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (23चख) यह उपबंध करता है कि किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान के लिए निधियां जुटाने के लिए स्थापित जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय कुल आय का भाग नहीं होती है। "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "जोखिम पूंजी उपक्रम" की परिभाषाएं खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 में दी गई हैं। "जोखिम पूंजी उपक्रम" उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ग) में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए और बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधियां) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है।

विधेयक का खंड (23चख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से किसी आय की छूट का उपबंध किया जा सके।

उक्त खंड (23चख) के प्रयोजनों के लिए यह भी प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) का संशोधन किया जाए जिससे कि "जोखिम पूंजी उपक्रम" को, ऐसी देशी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जा सके, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो कतिपय विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों में लगी हुई है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है, जो विशेष आर्थिक जोन में नवस्थापित इकाइयों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 10कक ऐसे किसी उपक्रम को, जो इकाई है, तब लागू होती है जब उसने किसी विशेष आर्थिक जोन में, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ किया है या आरंभ करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (4) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10कक किसी ऐसे उपक्रम को, जो इकाई है, लागू होगी, जो उसमें अधिकथित शर्तों को पूरा करता है। ये शर्तें हैं कि (i) उसने किसी विशेष आर्थिक जोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ किया है या आरंभ करता है; (ii) वह पूर्व में विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है; (iii) वह किसी प्रयोजन के लिए पहले प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (4) के खंड (ii) में उल्लिखित शर्तें किसी ऐसे उपक्रम, जो इकाई है, के संबंध में लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है।

एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध उक्त उपधारा (4) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो न्यासों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें, आदि के संबंध में है।

उक्त धारा के पार्श्व शीर्ष का "धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तें" के रूप में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा 12क के उपबंधों को, जो न्यासों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें अधिकथित करते हैं, उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किए जाने का प्रस्ताव है।

पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के खंड (क) में यह शर्त उपबंधित है कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे, यदि आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आयुक्त को विहित प्ररूप और विहित रीति में 1 जुलाई, 1973 से पूर्व या न्यास के सृजन या संस्था के स्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। जहां आवेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है, वहां आयोग को विलंब को माफ करने की शक्ति है। उक्त धारा 12क में इस शर्त का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को न्यास के सृजन या संस्था के स्थापन से एक वर्ष के भीतर फाइल किए जाने की अपेक्षा को दूर किया जा सके और आयुक्त की ऐसे आवेदन फाइल करने में हुए किसी विलंब को माफ करने की शक्ति को भी हटाया जा सके।

इस प्रयोजन के लिए, उक्त खंड (क) में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड (क) के उपबंध, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में यह उपबंध करने के लिए नया खंड (कक) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध न्यास या संस्था की आय के संबंध में तभी लागू होंगे, जब आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आयुक्त को विहित प्ररूप और विहित रीति से 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया हो और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

उक्त धारा में नई उपधारा (2) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था की उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए आय के संबंध में लागू होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है जो न्यासों या संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए विधेयक के खंड 8 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) के अधीन किए गए किसी आवेदन का निर्देश सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए विधेयक के खंड 8 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) के अधीन किए

गए किसी आवेदन का निर्देश सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (1) के उपखंड (viii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय "वेतन" की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा।

उपखंड (viii) में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ष में किसी अन्य नियोजक द्वारा धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय "वेतन" की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 17 के खंड (2) में यह उपबंध है कि परिलब्धि के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास का मूल्य, कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किसी आवास की बाबत मामले में किसी रियायत का मूल्य भी है।

खंड (2) के उपखंड (ii) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में, जहां किसी नियोजक द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और, आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के दस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में जहां किसी नियोजक द्वारा (केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न) निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है, वहां ऐसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में आया था, आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त पट्टे के किराए या उसके द्वारा संदेय किराए की वास्तविक रकम है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारिती को सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है, और आवास नियोजक के स्वामित्व में है वहां अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिवस्चरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास निर्धारिती के पूर्ववर्ष के दौरान अधिभोग में था, बढ़ाया गया है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, अवधारित असुसज्जित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य उक्त फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर, या अन्य घरेलू साधित्र, वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य साधित्र या गैजेट्स हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है तो उसके लिए संदेय वास्तविक किराए के प्रभारों में से पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय कोई प्रभार घटाकर आई लागत का दस प्रतिशत वार्षिक होगा।

यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां आवास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा होटल में दिया जाता है, (सिवाय वहां के जहां निर्धारिती को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता है), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के बीस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और उक्त आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है और उक्त आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम या वेतन का बीस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त खंड के उपखंड (iii) के अनुसार, "परिलब्धि" के अंतर्गत किसी कंपनी आदि द्वारा किसी मुफ्त या रियायती दर पर अनुदत्त या प्रदत्त फायदे या सुख सुविधा का मूल्य भी है। तथापि, उपखंड (iii) का परंतुक उससे किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या ऐसे कर्मचारियों को प्रस्थापित कंपनी की किसी स्कीम के अधीन शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों को आबंटित करके मुफ्त या रियायती दर पर दिए गए किसी फायदे के मूल्य को बाहर रखता है।

धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) के उक्त परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2कख) यह उपबंध करती है कि जहां कोई कंपनी, जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में या उसमें विनिर्दिष्ट या उसके अधीन अधिसूचित वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी हुई है, आंतरिक अनुसंधान और विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित सुविधाओं के विकास पर वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय उपगत करती है (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) तब इस प्रकार उपगत व्यय के डेढ़ गुणा के बराबर धनराशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, 31 मार्च, 2007 के पश्चात् उपगत ऐसे व्यय की बाबत उक्त उपधारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है।

उक्त उपधारा (2कख) के खंड (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 31 मार्च, 2012 तक उपगत व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जा सके।

यह संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2012-2013 तक लागू होगा।

विधेयक का **खंड 12** अन्य कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का उपखंड (ikh) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए या उसमें यथा उपबंधित किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा चेक द्वारा संदत्त प्रीमियम की रकम की, उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक, कटौती का उपबंध करता है।

अब यह प्रस्ताव है कि उक्त प्रीमियम का संदाय नकद के सिवाय अन्य ढंग से भी किया जा सकता है।

यह संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (viik) का उपखंड (क) बैंकों की आय की संगणना में कुल आय (उक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) के साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक की रकम की और यथाविनिर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या किसी अननुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए सकल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम की कटौती का उपबंध करता है।

प्रस्तावित संशोधन वैसी ही कटौतियों को विस्तारित करने के लिए है जो किसी अनुसूचित बैंक और अननुसूचित बैंक और ऐसे सहकारी बैंक को प्राप्त हैं जो प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं है।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (viii) विनिर्दिष्ट एककों द्वारा सृजित और रखे गए किसी विशेष रिजर्व की बाबत ऐसे रिजर्व में अग्रेषित पात्र कारबारी क्रियाकलापों से व्युत्पन्न लाभों के चालीस प्रतिशत से अधिक रकम के लिए कटौती का उपबंध करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (viii) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार से व्युत्पन्न लाभों से कटौती को चालीस प्रतिशत से कम करके बीस प्रतिशत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है जिसके अंतर्गत कटौती के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट एकक" और "पात्र कारबार" भी है। विनिर्दिष्ट एकक और संबंधित कारबार, जो ऐसी कटौती के लिए हकदार हैं, निम्नलिखित हैं,—

(क) कंपनी अधिनियम की धारा 4क में विनिर्दिष्ट वित्तीय निगम या ऐसा वित्तीय निगम, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक (किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न) है, जो भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ है;

(ख) कोई आवास वित्त पब्लिक कंपनी, जो भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगी हुई है; और

(ग) कोई अन्य वित्तीय निगम, जिसके अंतर्गत पब्लिक कंपनी भी है, जो भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (x) का विद्यमान उपबंध संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किसी विनिमय जोखिम प्रशासन निधि मद्दे अभिदाय के रूप में किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा संदत्त किसी राशि की कटौती अनुज्ञात करता है।

प्रस्तावित संशोधन धारा 36 की उपधारा (1) से उक्त खंड का लोप करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (xii) में यह उपबंध है कि किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित किसी निगम या निगमित निकाय, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, उसकी आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसा निगम या निगमित निकाय, केंद्रीय सरकार द्वारा, तत्स्थानी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, उक्त खंड के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि धारा 28 के अधीन, जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से संबंधित है, आय की संगणना करने में उसके अधीन खंडों में उपबंधित कटौतियां उसमें वर्णित मामलों की बाबत अनुज्ञात की जाएंगी।

किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऐसे उधार गारंटी निधि न्यास को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिदाय के रूप में संदत्त किसी रकम की कटौती का उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (xiv) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

"लोक वित्तीय संस्था" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे व्यय के संदाय, जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है, के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि निर्धारिती द्वारा उपगत कोई ऐसा व्यय, जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक का संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया जाता है, ऐसे संदाय के बीस प्रतिशत तक की कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि (क) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक की राशि का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; (ख) जहां निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोई अनुज्ञा दी गई है और निर्धारिती ने उसका संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार, यदि संदाय की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा।

तथापि, जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया जाता है वहां ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं की प्रकृति और सीमा तथा कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अननुज्ञात नहीं किया जाएगा और कोई संदाय इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ नहीं माने जाएंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जो अर्जन के कतिपय ढंगों के संदर्भ में लागत से संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (2कख) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां पूंजी अभिलाभ विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, जिनकी कीमत को धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना करते समय ध्यान

में रखा गया है वहां ऐसे प्रतिभूति शेयरों के अर्जन की लागत प्रस्तावित खंड (खक) के अधीन मूल्य होगी।

यह संशोधन धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अंतःस्थापन का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 54डग का संशोधन करने के लिए है जो पूंजी अभिलाभ के कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किए जाने के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ को उस सीमा तक कर से छूट दी जाएगी जिस तक ऐसे अभिलाभ ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किए जाते हैं।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक न हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

धारा 54डग के स्पष्टीकरण का खंड (ख) "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" पद को इस रूप में स्पष्ट करता है कि उससे ऐसा कोई बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष पश्चात् मोचनीय है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है और इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व जारी किया गया है और इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, ऐसी शर्तों (जिनके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्त भी है) के साथ, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिसूचित किया गया है।

इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित बंधपत्रों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, विधिमान्य करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे।

इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (v) में यह उपबंध है कि जहां 25,000 रुपए से अधिक की कोई धनराशि किसी व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है वहां ऐसी समस्त राशि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है। उक्त खंड के परंतुक में यह उपबंध है कि उक्त खंड ऐसी किसी राशि को लागू नहीं होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन प्राप्त होती है। उक्त परंतुक में कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधन किए गए थे और उसमें खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) अंतःस्थापित किए गए थे जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (v) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से या धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या किसी न्यास या संस्था से प्राप्त ऐसी किसी धनराशि को लागू नहीं होगा।

यद्यपि उक्त खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) को 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी करने का आशय था किंतु कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, 13 जुलाई, 2006 से ही प्रवृत्त हुआ था। अतः यह प्रस्ताव है कि खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी किया जाए।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है, जो समामेलन या निर्विलयन, आदि से संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल का स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से, समामेलन हुआ है, वहां आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के शेष अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और हानि के मुजरा तथा अग्रनयन और अवक्षयण के मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों के वैसे ही कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से समामेलन को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 80कग का संशोधन करने के लिए है जो विवरणी दिए जाने तक कटौती के अनुज्ञात न किए जाने से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 80कग यह उपबंध करती है कि 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी नहीं दे देता है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित धारा 80झघ के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी नहीं दे देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती अनुज्ञात किए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है, पूर्ववर्ष ऐसी किसी पेंशन के अधीन कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है वहां उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती की दशा में, केंद्रीय सरकार उक्त पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में कोई अभिदाय करती है वहां निर्धारिती को कुल आय की संगणना करने में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई उस संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

धारा 80गगघ के उपबंधों को 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किसी व्यष्टिक निर्धारिती को विस्तारित करने की दृष्टि से उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का संशोधन करने के लिए है जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती के संबंध में है।

धारा 80घ की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, निर्धारिती के स्वास्थ्य या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए चेक द्वारा संदत्त राशि की कटौती की जाएगी, परन्तु ऐसी रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, पन्द्रह हजार रुपए की कटौती उपलब्ध है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा में निर्दिष्ट राशि का संदाय नकद रूप के सिवाय किसी अन्य ढंग से किया जा सकता है।

उक्त धारा के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम रकम को दस हजार रुपए से बढ़ाकर पंद्रह हजार रुपए करने का भी प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, इस सीमा को पंद्रह हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 21** उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी व्यष्टि को अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की कर से प्रभार्य उसकी आय में से कटौती अनुज्ञात है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यह कटौती उस निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले आठ निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें निर्धारिती उधार पर ब्याज का संदाय करना आरंभ करता है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के अधीन उपलब्ध कटौती को किसी व्यष्टि के संबंध में उसके द्वारा अपने नातेदारों की उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में किए गए संदाय के लिए विस्तारित करने के लिए है।

परिणामस्वरूप यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" पद को परिभाषित किया जाए जिससे पत्नी या पति और बालकों को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा, उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम कोई अवसंरचना सुविधा विकसित करता है और प्रचालन आरंभ करता है या दूरसंचार सेवा देना प्रारंभ करता है या औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विद्युत पैदा करता है या विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है या विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है, प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किसी दस क्रमवर्ती वर्षों के लिए किया जा सकेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती उस वर्ष से, जिसमें कोई उपक्रम क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाता है और उसका प्रचालन आरंभ करता है, आरंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से दस वर्ष के लिए भी कटौती का दावा कर सकेगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि ऐसा उपक्रम जो विद्युत पैदा करने या उसके वितरण या पारेषण करने में लगा हुआ है या ऐसा उपक्रम जो दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके या पुराने संयंत्र और मशीनरी का नए कारबार में अंतरण करके बना है, उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।

इन शर्तों को क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने तथा प्रचालित करने में लगे उपक्रम को भी लागू करने प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (4) कटौती के लिए पात्र क्रियाकलापों को, विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, विद्युत की अवसंरचना सुविधा, उसका उत्पादन, पारेषण या वितरण भी है। उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (i) का स्पष्टीकरण "अवसंरचना सुविधा" पद को परिभाषित करता है।

"अवसंरचना सुविधा" पद की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे समुद्र में नौचालन चैनल को भी सम्मिलित किया जा सके।

उक्त उपधारा (4) का खंड (v), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और विद्युत उत्पादन संयंत्र की पुनःसंरचना या पुनरुज्जीवन के लिए स्थापित उपक्रम दस वर्ष के लिए कर फायदे का पात्र है यदि वह विद्युत का उत्पादन या पारेषण या वितरण 31 मार्च, 2007 से पूर्व प्रारंभ करता है।

उक्त उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि विद्युत का उत्पादन, पारेषण या वितरण प्रारंभ करने की तारीख को एक वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2008 से पूर्व तक बढ़ाया जा सके।

धारा 80झक की उक्त उपधारा (4) में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइप लाइन और भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो नेटवर्क का अभिन्न अंग है, बिछाने और उसके प्रचालन का कारबार करने वाला कोई उपक्रम, उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा यदि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है; उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; उसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है; उसने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन करना आरंभ किया है या करता है और वह ऐसी कोई अन्य शर्त पूरी करता है, जो विहित की जाए।

प्रस्तावित खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, "सहयुक्त व्यक्ति" पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (12) अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां भारतीय कंपनी का कोई उपक्रम, जो उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलयन की किसी स्कीम में किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां कटौतियां, उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक या रीति में, समामेलित या परिणामी कंपनी को उपलब्ध होंगी।

उक्त उपधारा (12क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (12) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे उपक्रम या उद्यम को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व समामेलन या विलयन की किसी स्कीम में अंतरित किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 80झक में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उपक्रम या उद्यम के साथ करार की गई संकर्म संविदा निष्पादित करता है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अपने शीतागार संयंत्र अथवा संयंत्रों का प्रचालन करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, ऐसे औद्योगिक उपक्रम से पांच निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत और उसके पश्चात् अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत (या किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) होगी।

उक्त उपधारा के चौथे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए और वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन अथवा शीतागार संयंत्र के प्रचालन को प्रारंभ करने के लिए उक्त अवधि को 31 मार्च, 2012 तक विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80झघ अंतःस्थापित करने के लिए है जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसे होटलों और कन्वेंशन सेंटरों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा 80झघ की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उक्त धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है या उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण, स्वामित्व या प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है।

प्रस्तावित उपधारा (3), प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए उपक्रम द्वारा पूरा की जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट करती है।

प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए, उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10कक के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से उपधारा (11) में अंतर्विष्ट उपबंध जहां तक हो सके इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे।

प्रस्तावित उपधारा (6) "कंवेंशन सेंटर", "होटल", "आरंभिक निर्धारण वर्ष" और "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" को परिभाषित करती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश के संबंध में है।

धारा 92गक की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत के अवधारण का आदेश करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नई उपधारा (3क) अंतःस्थापित की जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों की असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का आदेश करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि समाप्त होने से कम से कम दो मास पूर्व किया जाएगा। यह समय परिसीमा उन मामलों में भी लागू होगी जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए निर्देश अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को 1 जून, 2007 से पहले किया गया था किंतु उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश उक्त तारीख से पहले उसके द्वारा पारित नहीं किया गया था।

उक्त धारा की उपधारा (4) के परंतुक के उपबंधों में यह उपबंध है कि उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत को विचार में लेते हुए, धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के लिए अग्रसर होगा।

यह प्रस्ताव है कि धारा 92गक की उक्त उपधारा (4) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए अग्रसर होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के दस प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का दस प्रतिशत होगा। उपधारा (2) लाभ और हानि लेखा तैयार करने के बारे में है। उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण के अनुसार " बही लाभ" पद से ऐसा शुद्ध लाभ अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और भाग 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय समायोजनों द्वारा वृद्धि करके या घटा कर दर्शाया गया है। पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि बही लाभ में धारा 10क या धारा 10ख में निर्दिष्ट किसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमें जोड़ दी जाएंगी, यदि ऐसी रकम लाभ और हानि लेखा में से विकलित कर दी जाती है और उसमें से उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाएगी यदि ऐसी कोई रकम लाभ या हानि लेखा में जमा कर दी जाती है।

धारा 115ञख के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी कोई आय जिसको धारा 10क या धारा 10ख के उपबंध लागू होते हैं, धारा 115ञख के प्रयोजनों के लिए बही लाभ में सम्मिलित की जाएगी और परिणामस्वरूप मैट के उद्ग्रहण की दायी होगी।

तदनुसार, यह उपबंध करने के लिए कि बही लाभ में ऐसी किसी आय से संबंधित व्ययों की रकम या रकमें नहीं जोड़ी जाएंगी जिसको धारा 10क या धारा 10ख लागू होती है, धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण के खंड (च) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय की रकम जिसे धारा 10क या धारा 10ख का कोई उपबंध लागू होता है, पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ में से नहीं घटाई जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि किसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभों में से हों या संचित लाभों में से, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे "वितरित लाभ पर कर" भी कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वितरित लाभों पर ऐसे कर की दर को साढ़े बारह प्रतिशत से बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

धारा 115द की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि, ऐसी वितरित आय पर, किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, साढ़े बारह प्रतिशत और किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध भी किया जा सके कि जहां आय किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित की गई है वहां ऐसी निधि ऐसी वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी। किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर कर की विद्यमान दरें वही बनी रहेंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ङ के स्पष्टीकरण का संशोधन करने के लिए है जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त स्पष्टीकरण में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे "द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि" को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के खंड (2) के उपखंड (त) में यथा परिभाषित द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि के रूप में परिभाषित किया जा सके। उक्त स्पष्टीकरण में एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "तरल निधि" को पारस्परिक निधि की ऐसी स्कीम या योजना के अर्थ में परिभाषित किया जा सके, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तरल निधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम की धारा 115बख का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों को परिभाषित करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि "अनुषंगी फायदों" से, अन्य बातों के साथ, नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों और उसके कुटुंब के सदस्यों की निजी यात्राओं के लिए प्रदान किया गया कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा या कोई मुफ्त या रियायती टिकट और नियोजक द्वारा कर्मचारियों की किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में कोई अभिदाय अभिप्रेत है।

उपधारा (1) में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत पूर्व कर्मचारी भी हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए गए स्वेट साधारण शेयर को "अनुषंगी फायदों" की परिधि के भीतर लाया जा सके।

प्रस्तावित खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" और "स्वेट साधारण शेयर" पदों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि अनुषंगी फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को तभी प्रदान किए गए समझे जाएंगे जब नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति के अनुक्रम में मनोरंजन, आतिथ्य, सम्मेलन, विक्रय संवर्धन जिसके अंतर्गत प्रचार भी है, के प्रयोजनों के लिए कोई व्यय उपगत किया है या कोई संदाय किया है।

उपधारा (2) के खंड (घ) का परंतुक प्रचार सहित विक्रय संवर्धन से विज्ञापन पर कतिपय व्यय को अपवर्जित करता है। उक्त परंतुक का खंड (v) विज्ञापन की कुछ मदों पर व्यय को अपवर्जित करता है। इस खंड के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे उत्पादों के प्रदर्शन को उसकी परिधि में सम्मिलित किया जा सके। इसी प्रकार उक्त परंतुक का खंड (vii) डाक्टरों को केवल औषधियों या चिकित्सा उपकरणों के मुफ्त नमूनों के वितरण पर व्यय को ही अपवर्जित करता है। अब यह प्रस्ताव है कि इस खंड के फायदे को किसी भी मद के नमूनों को, डाक्टरों सहित, किसी व्यक्ति को मुफ्त या रियायती दर पर वितरण पर व्यय तक बढ़ाया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 115बग का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों के मूल्य के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन का उपबंध है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों का कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किए जाने की तारीख को उचित बाजार मूल्य, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्रतिभूति या शेयरों की बाबत संदत्त या उससे वसूल की गई रकम को घटा दिया गया हो, धारा 115बख की उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (घ) में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदे का मूल्य होगा।

"उचित बाजार मूल्य" पद को उस ढंग से, जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, अवधारित मूल्य के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 115बञ का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों की बाबत अग्रिम कर से संबंधित है।

धारा 115बग की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि वित्तीय वर्ष में निर्धारिती द्वारा संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय धारा 115बग में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों के मूल्य का तीस प्रतिशत होगा और ऐसे तिमाही के पश्चात्वर्ती मास की 15 तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी। तथापि, वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय अग्रिम कर उक्त वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय होगा।

धारा 115बञ की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती उपधारा (2) के अनुसार अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, अनुषंगी फायदों के मूल्य के तीस प्रतिशत साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर की रकम ऐसी सभी कंपनियों द्वारा संदेय होगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी हैं। कंपनियां वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत; 15 सितंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पैंतालीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए संपूर्ण रकम का संदाय करेंगी। सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न) जो वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करेंगे। ऐसे निर्धारिती वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के तीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम से घटाकर आए साठ प्रतिशत; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त किसी रकम से घटाकर आई संपूर्ण रकम का संदाय करेंगे।

उपधारा (2) के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप धारा 115बञ की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या उससे कम संदाय किया गया है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 120 का संशोधन करने के लिए है जो आय-कर प्राधिकारियों की अधिकारिता से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन अपर निदेशक द्वारा भी किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

इस खंड में और संशोधनों के प्रस्ताव हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन अपर निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 34** आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन करने के लिए है जो अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों के उपयोजन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (क) अभिगृहीत या अध्युपेक्षित धन की असमायोजित रकम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के संदाय के लिए उपबंध करता है। अब ब्याज के परिकलन की पद्धति को मासिक आधार पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि साधारण ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष के बजाय प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधे प्रतिशत की दर से परिकलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है जो आय की विवरणी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (9) के परंतुक का, जो अंत में आया हुआ है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, लोप करने का प्रस्ताव है कि उस परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों को नई धारा 139ग और धारा 139घ के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम में नई धारा 139ग और धारा 139घ का अंतःस्थापन करने के लिए है जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित हैं।

एक नई धारा 139ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे दस्तावेजों, विवरणों, रसीदों, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टों या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजों को, जो धारा 139घ के सिवाय, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अन्यथा दिए जाने के लिए अपेक्षित हैं, विवरणी के साथ दिए जाने की अपेक्षा नहीं हो सकेगी किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 139 की उपधारा (9) के परंतुक के अधीन, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उसके लोप किए जाने से ठीक पूर्व था, बनाया गया कोई नियम, नई धारा 139ग के उपबंधों के अधीन बनाया गया समझा जाएगा।

नई धारा 139घ को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों, जिनसे इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी दिए जाने की अपेक्षा होगी; उस प्ररूप और रीति, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी दी जा सकेगी; ऐसे दस्तावेजों, विवरणों, रसीदों, प्रमाणपत्रों या संपरीक्षित रिपोर्टों, जो इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी पारेषित की जा सकेगी, के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा।

परिणामस्वरूप, धारा 295 में नए खंड (ङङखक) और (ङङखख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करते हैं।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से पूर्व जांच के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि यदि अपने समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर निर्धारण प्राधिकारी की, निर्धारिती की लेखाओं की प्रकृति और जटिलता का तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निदेश दे सकेगा कि वह धारा 288 की उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण में तथा यथा परिभाषित और इस निमित्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किसी लेखापाल से लेखाओं की संपरीक्षा कराए और विहित रूप में ऐसी संपरीक्षा की ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां हों जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2क) का, उसमें एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करके संशोधन किया जाए कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को लेखाओं की इस प्रकार संपरीक्षा कराने के लिए तब तक निदेश नहीं देगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2घ) में यह उपबंध है कि उपधारा (2क) के अधीन किसी संपरीक्षा के व्यय तथा उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे और निर्धारिती द्वारा संदत्त किए जाएंगे तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर निर्धारिती से उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जो कर के बकाया की वसूली के लिए अध्याय 17घ में उपबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2घ) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 जून, 2007 को या उससे पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को लेखा संपरीक्षित कराने के लिए उपधारा (2क) के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है वहां ऐसी संपरीक्षा के और उसके आनुषंगिक व्ययों का (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है) अवधारण मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा जो विहित किए जाएं और इस प्रकार अवधारित व्ययों का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की, निर्धारण से संबंधित, धारा 143 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का परंतुक, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि ऐसी किसी निधि या न्यास या संस्था के मामले में, जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी निधि या न्यास या संस्था की कुल आय या हानि का निर्धारण करने वाला कोई भी आदेश निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना न दे दी हो और ऐसी निधि या न्यास या संस्था की बाबत जारी अधिसूचना विखंडित नहीं कर दी गई हो।

विधेयक का खंड 6 धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) और उपखंड (v) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उनमें निर्दिष्ट ऐसी निधि या न्यास या संस्था को वह छूट अनुज्ञात की जा सके जिसका अनुमोदन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के उपखंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन की वापसी के संबंध में निर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (2क) के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल आय का निर्धारण और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा के लिए उपबंध करते हैं।

उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (2क) में उस दशा में कुल आय का निर्धारण और पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित समय परिसीमाओं का उपबंध करने वाले नए परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों की असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को धारा 92गक के अधीन निदेश किया जाता है। ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित समय परिसीमा पूर्वोक्त धारा के अधीन बारह मास तक बढ़ाई गई विनिर्दिष्ट समय परिसीमा होगी। पुनरीक्षित समय परिसीमा उन मामलों में भी लागू होगी, जहां अंतरण कीमत अधिकारी को ऐसा निदेश 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु उक्त तारीख के पूर्व उसके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा के लिए उपबंध करते हैं।

उपधारा (1) में तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में और जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों की असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को धारा 92गक के अधीन निदेश दिया जाता है वहां निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए उक्त धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा को पुनरीक्षित करने के लिए नए परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित समय सीमा पूर्वोक्त धारा के अधीन बारह मास तक बढ़ाई गई विनिर्दिष्ट समय सीमा होगी। पुनरीक्षित समय सीमा उन मामलों में भी लागू होगी, जहां अंतरण कीमत अधिकारी को ऐसा निदेश 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु उक्त तारीख के पूर्व उसके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम में नई धारा 153घ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो तलाशी के मामले में निर्धारण के पूर्व अनुमोदन से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा 153घ में यह उपबंध है कि—

(i) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष; और

(ii) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उक्त धाराओं के अधीन तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष,

के संबंध में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश संयुक्त आयुक्त से निम्न पंक्ति के निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही पारित किया जाएगा।

यह संशोधन, 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 172 का संशोधन करने के लिए है जो अनिवासियों के पोत परिवहन कारबार के संबंध में है।

उक्त धारा, उसकी उपधारा (3) के अधीन दी गई विवरणी के संबंध में निर्धारण पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का उपबंध नहीं करती है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने के लिए है कि आय-कर का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई आदेश उक्त धारा के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा में परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (3) के अधीन कोई विवरणी 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व दी जाती है वहां आय का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला आदेश 31 दिसंबर, 2008 को या उसके पूर्व किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है जो प्रतिभूतियों पर ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा का परंतुक, अन्य बातों के साथ, स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर संदेय किसी ब्याज को अपवर्जित करता है जिसके परिणामस्वरूप, 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003 पर संदेय ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जा रही है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003 पर किसी ब्याज का किसी निवासी को संदेय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती करेगा यदि ऐसे बांडों पर संदेय ब्याज वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) में यह उपबंध है कि स्रोत पर आय-कर की कटौती उन मामलों में नहीं की जाएगी, जहां ब्याज के रूप में आय की रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कर कटौती की सीमा वहां दस हजार रुपए होगी जहां संदायकर्ता बैंककारी कंपनी या बैंककारी कारबार करने में लगी हुई कोई सहकारी सोसाइटी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित तथा उसके द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन डाकघर में किसी जमा पर ब्याज संदेय है और किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए होगी।

यह संशोधन, 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है जो ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को संदाय पर स्रोत से कर की कटौती करने के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा ठेकेदार को किए गए संदायों पर स्रोत से कर की कटौती का उपबंध नहीं करती है।

प्रस्तावित संशोधन उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा, जिसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा की जाती है या संदाय की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है जो किसी निवासी को कमीशन या दलाली के संदाय पर स्रोत से कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा में धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन के संदाय पर स्रोत से कर की कटौती से छूट का उपबंध है। अन्य मामलों में , जहां कमीशन या दलाली के संदाय पर स्रोत से कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है वहां ऐसी कटौती के लिए दर पांच प्रतिशत विनिर्दिष्ट की गई है।

यह संशोधन कर की कटौती के लिए पांच प्रतिशत की विद्यमान दर को बढ़ाकर दस प्रतिशत करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, यह संशोधन भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने पब्लिक काल आफिस के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय कमीशन या दलाली के संदायों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती से छूट का भी उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है जो किराए के रूप में संदेय किसी आय पर स्रोत से कर की कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) किराए के रूप में किसी आय पर स्रोत पर, जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से और अन्य दशाओं में बीस प्रतिशत की दर से कर की कटौती का उपबंध करते हैं। "किराया" पद को स्पष्टीकरण के खंड (i) में परिभाषित किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि मशीनरी, संयंत्र और उपस्कर के उपयोग के लिए किराए के रूप में आय पर स्रोत से कर की कटौती दस प्रतिशत की दर पर होगी और उसके स्पष्टीकरण के खंड (i) में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य चीजों के उपयोग के लिए, मशीनरी, संयंत्र और उपस्कर को छोड़कर, पन्द्रह प्रतिशत की दर से होगी जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है और किसी अन्य दशा में बीस प्रतिशत की दर से होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ का संशोधन करने के लिए है जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत से कर की कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह अधिकथित करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को वृत्तिक, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में किसी राशि का, धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट स्वामिस्व या राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, ऐसी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर रकम आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि स्रोत पर कर की कटौती की दर को बढ़ाकर दस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 197क का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे मामलों से संबंधित है, जिनमें कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (1ग) में धारा 88ख का निर्देश है, जिसका 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया गया है।

यह संशोधन उक्त उपधारा से लोप की गई धारा 88ख के निर्देश को हटाने के लिए है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है जो कर की कटौती या संदाय करने की असफलता के परिणामों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1क) काटी न गई या भागतः काटी गई या सरकार के खाते में संदाय न की गई कर की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के संदाय के दायित्व का उपबंध करती है। अब ब्याज की संगणना करने के तरीके को बदलकर मासिक आधार पर करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक प्रतिशत साधारण ब्याज की संगणना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 51** आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने के लिए है जो कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी के दिए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी से, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के रूप में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, तिमाही विवरणी तैयार करने और विहित आय-कर प्राधिकारी को उसे परिदत्त करने या परिदत्त कराने की अपेक्षा करती है।

प्रस्तावित संशोधन, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है वहां स्रोत पर कर की कटौती के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर दस हजार रुपए करने के संबंध में धारा 194क में प्रस्तावित संशोधन के अनुरूप करने के लिए है।

यह संशोधन, 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है जो अल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभों और अभिलाभों पर स्रोत पर कर के संग्रहण से संबंधित है।

उपधारा (1ग) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट "खनन और खदान क्रिया" को यह विनिर्दिष्ट करते हुए परिभाषित करने का प्रस्ताव है कि खनन और खदान क्रिया में खनिज तेल की खनन और खदान क्रिया सम्मिलित नहीं होगी। यह और स्पष्ट किया गया है कि "खनिज तेल" पद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 53** धारा 245क का संशोधन करने के लिए है जो अध्याय 19क के अधीन परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि "मामला" की परिभाषा से इस अधिनियम के अधीन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों की बाबत, किसी व्यक्ति के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए अथवा ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण के संबंध में, अपील या पुनरीक्षण के रूप में ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित है जहां कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया है और ग्रहण नहीं किया गया है, वहां ऐसी अपील या पुनरीक्षण को इस खंड के अर्थ में लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा।

उक्त धारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि मामले को इस रूप में परिभाषित किया जा सके - "मामला" से इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो। उसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि (i) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की कोई कार्यवाही; (ii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही; (iii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही; (iv) धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी।

उक्त खंड (ख) में, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए (i) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी जिसको धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है; (ii) निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी; (iii) नया निर्धारण करने की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी जिसको धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था; (iv) किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई और उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएगी, जिसको निर्धारण किया गया है, समझी जाएगी।

उक्त धारा के खंड (छ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन "उपाध्यक्ष" को समझौता आयोग के उपाध्यक्ष के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) उक्त धारा के खंड (छ) का संशोधन करने के लिए है जिससे समझौता आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य भी है जो न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठ है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 54** धारा 245ग का संशोधन करने के लिए है जो मामलों के समझौते के लिए आवेदन से संबंधित है।

धारा 245ग की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई भी निर्धारिती, अपने से संबंधित मामले के किसी भी प्रक्रम पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा आवेदन, जिसमें उसकी ऐसी आय का, जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की गई, पूरा और सत्य प्रकटन है, ऐसी रीति, जिससे ऐसी आय व्युत्पन्न हुई है, ऐसी आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट हो, समझौता आयोग को मामले का समझौता करने के लिए, कर सकेगा। उसमें यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक (क) निर्धारिती ने आय की वह विवरणी नहीं दे दी है जो उससे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अपेक्षित है या थी; और (ख) आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त उपधारा (1) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि (i) आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक है; और (ii) ऐसे कर और उस पर ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में प्रकट की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

धारा 245ग की उपधारा (1क) का यह उपबंध करती है कि इस धारा की उपधारा (1) और धारा 245घ की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ) के प्रयोजनों के लिए, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन में प्रकट की गई आय की बाबत

संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उपधारा (1ख) से उपधारा (1घ) के उपबंधों के अनुसार संगणित रकम होगी।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (1क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त धारा में उपधारा (2क) से उपधारा (2घ) के निर्देश का लोप किया जा सके।

धारा 245ग की उपधारा (1ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन आवेदन में प्रकट की गई आय की बाबत संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम की संगणना की रीति दी गई है। उक्त उपखंड के अधीन जहां आवेदन में प्रकट की गई आय केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है वहां—(i) यदि आवेदक ने उस पूर्ववर्ष आय की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है चाहे, उस वर्ष की कुल आय की बाबत निर्धारण किया गया हो या नहीं किया गया हो तो खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले मामले को छोड़कर, आवेदन में प्रकट की गई आय पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी आय कुल आय हो; (ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी दे दी है, चाहे ऐसी विवरणी के अनुसरण में निर्धारण किया गया हो या नहीं तो विवरणी में उल्लिखित कुल आय के और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग कुल आय हो; (iii) यदि आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही धारा 147 के अधीन आवेदक के पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही की प्रकृति की या ऐसे पुनर्निर्धारण के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के रूप में कार्यवाही है और आवेदक ने पुनर्निर्धारण के लिए ऐसी कार्यवाही के दौरान उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के अधीन निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में यथानिर्धारण कुल आय के और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग कुल आय हो।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (1ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके जहां आवेदन में प्रकट की गई आय केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां,— (i) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी आय कुल आय हो ; (ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित कुल आय के और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग कुल आय हो।

धारा 245ग की उपधारा (1ग) के उपबंधों के अधीन, उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, आवेदन में प्रकट की गई आय की बाबत संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम—(क) उस उपधारा के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के अधीन संगणित कर की रकम होगी; (ख) उस उपधारा के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के अधीन संगणित कर की रकम होगी, जिसमें से उस वर्ष के लिए विवरणी में उल्लिखित कुल आय पर संगणित कर की रकम घटा दी जाएगी; (ग) उस उपधारा के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के अधीन संगणित कर की रकम होगी, जिसमें से धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के अधीन निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में निर्धारित कुल आय पर संगणित कर की रकम घटा दी जाएगी।

उक्त खंड का उपखंड (iv) उक्त उपधारा (1ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त उपधारा के उपखंड (ग) का लोप किया जा सके।

उक्त खंड का उपखंड (v) नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 55** धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 245घ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन यह उपबंधित है कि धारा 245घ के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समझौता आयोग आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर तथा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों अथवा उसमें अंतर्ग्रस्त अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए समझौता आयोग, जहां संभव हो उस मास के, जिसमें धारा 245ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा। उसमें यह उपबंधित है कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। यह और उपबंध किया गया है कि आयुक्त 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात्, धारा 245 के अधीन किए गए सभी आवेदनों की दशा में, समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा और यदि आयुक्त उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना आदेश कर सकेगा।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त उपधारा का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा।

धारा 245घ की उपधारा (2क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि उपधारा (2ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती, उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने वाले आदेश की प्रति की प्राप्ति से पैंतीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय कर की अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा और ऐसे संदाय का सबूत समझौता आयोग को प्रस्तुत करेगा।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (2क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से पूर्व थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है। उक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह भी उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी।

धारा 245घ की उपधारा (2ख) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि यदि समझौता आयोग का निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि वह उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आय-कर की अतिरिक्त रकम का संदाय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में अच्छे और पर्याप्त कारण से असफल है तो वह ऐसी रकम के, जो असंदत्त रह जाती है, संदाय के लिए समय बढ़ा सकेगा या उसका संदाय किस्तों में अनुज्ञात कर सकेगा, यदि निर्धारिती उसके संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देता है।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (2ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) ऐसे आवेदन की बाबत जो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर; या (ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व, आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा।

धारा 245घ की उपधारा (2ग) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां आय-कर की अतिरिक्त रकम का संदाय उपधारा (2क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है वहां समझौता आयोग ने ऐसी रकम के, जो असंदत्त रह जाती है, संदाय के लिए समय बढ़ाया है या नहीं अथवा उपधारा (2ख) के अधीन किस्तों में उसका संदाय अनुज्ञात किया है या नहीं, निर्धारिती असंदत्त रह गई रकम पर उपधारा (2क) में निर्दिष्ट पैंतीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (2ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा, यदि आवश्यक हो, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगा। उसमें यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य

घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा।

धारा 245घ की उपधारा (2घ) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आय-कर की अतिरिक्त रकम का संदाय, निर्धारिती, यथास्थिति, उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट या उपधारा (2ख) के अधीन बढ़ाए गए समय के भीतर नहीं करता है वहां समझौता आयोग यह निदेश दे सकेगा कि असंदत्त रह गई आय-कर की रकम उपधारा (2ग) के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित, ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर अधिकारी द्वारा अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम के लिए कोई शास्ति, ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित और वसूल की जाए।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (2घ) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने के पूर्व थे, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने के पूर्व थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था वहां ऐसा आवेदन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है।

धारा 245घ की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया जाता है वहां समझौता आयोग आयुक्त से सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा के पश्चात् यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो वह आयुक्त को ऐसी अतिरिक्त जांच या अन्वेषण करने या कराने का तथा आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकेगा।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) ऐसे आवेदन की बाबत जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है ; या (ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में आगे कोई जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा। उसमें यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

धारा 245घ की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि अभिलेख की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट की तथा उपधारा (3) के अधीन प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा आयुक्त को, स्वयं या उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए, या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात् समझौता आयोग आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है, किन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आयुक्त की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा ठीक समझता है।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अभिलेख और आयुक्त की,—(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या (ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन के पूर्व थे,के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे और अतिरिक्त साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर या मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त धारा की उपधारा (4क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि समझौता आयोग, जहां संभव हो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (4क) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व; (ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर, उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (6क) शेष असंदत्त रकम पर पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के निर्धारिती के दायित्व के लिए उपबंध करती है। ब्याज की संगणना के ढंग को मासिक आधार पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

उक्त खंड का उपखंड (iv क) यह उपबंध करने के लिए है कि पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की बजाय, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की संगणना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 56** धारा 245घघ का संशोधन करने के लिए है, जो राजस्व संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की का आदेश करने की समझौता आयोग की शक्ति से संबंधित है।

धारा 245घघ की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनंतिम कुर्की, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी। उसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि समझौता आयोग, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पूर्वोक्त अवधि को इतनी और अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे, किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस शर्त का लोप किया जा सके कि बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 57** धारा 245ङ का संशोधन करने के लिए है, जो पूरी की गई कार्यवाहियों को पुनः आरंभ करने की समझौता आयोग की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि यदि समझौता आयोग की यह राय है कि उसके समक्ष लंबित मामले को उचित रूप से निपटाने के लिए उस मामले से संबद्ध किसी कार्यवाही को, जो धारा 245ग के अधीन आवेदन किए जाने के पूर्व किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूरी कर दी गई थी और पुनः आरंभ करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आवेदक की सहमति से ऐसी कार्यवाही पुनः आरंभ कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे, मानो उस मामले के अंतर्गत, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा उस धारा के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया गया है, ऐसी कार्यवाही की जाती है। उसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि समझौता आयोग द्वारा कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन पुनःआरंभ नहीं की जाएगी, यदि जिस निर्धारण वर्ष से वह कार्यवाही संबंधित है, उसके अंत और धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन की तारीख के बीच की अवधि नौ वर्ष से अधिक है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 58** धारा 245च का संशोधन करने के लिए है, जो समझौता आयोग की शक्तियां और प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 245च की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि जहां धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन पर कार्यवाही का किया जाना धारा 245घ के अधीन अनुज्ञात किया गया है, वहां समझौता आयोग को, धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने तक, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने की अनन्य अधिकारिता होगी।

उक्त उपधारा का एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी। उक्त उपधारा में यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां—(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है; या (ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 245घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ख) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है; या (iii) किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा, यथास्थिति, अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 59** धारा 245ज का संशोधन करने के लिए है, जो अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति देने की समझौता आयोग की शक्ति से संबंधित है।

धारा 245ज की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में उससे सहयोग किया है और अपनी आय का और उस रीति का, जिससे वह आय उद्भूत हुई है, पूरा और सही प्रकटन किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, समझौते के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति दे सकता है। उसमें यह भी उपबंध किया गया है कि समझौता आयोग उन मामलों में ऐसी उन्मुक्ति नहीं देगा, जहां धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पूर्व किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए कार्यवाहियां संस्थित कर दी गई हैं।

उक्त उपधारा का एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या इस अधिनियम, आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 60** नई धारा 245जक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन होने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां (i) धारा 245ग के अधीन, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किया गया कोई आवेदन, धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है, या (ii) धारा 245ग के अधीन किए गए आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन या उपधारा (2घ) के अधीन नामंजूर किया गया है; या (iii) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या (iv) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है, वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा। एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे "विनिर्दिष्ट तारीख" के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है—(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत, वह दिन, जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था, (ख) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007; (ग) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसको आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था; (घ) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय या अवधि समाप्त हो जाती है।

नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां समझौता आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है वहां यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही आवेदन करने के समय लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 245ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो।

नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह और उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खङ और धारा 231 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ; और जहां निर्धारिती कोई फर्म है वहां धारा 186 की उपधारा (2) के अधीन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए पूर्वोक्त अवधि के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त अवधि को इसी प्रकार अपवर्जित कर दिया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

यह खंड नई धारा 245जकक अंतःस्थापित करने के लिए भी है जो कार्यवाहियों के समापन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर नहीं किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय के पहले पारित नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 245जक के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति निर्धारण करने में या कार्यवाहियों को पूरा करने में, समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने से पूर्व या मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 61** धारा 245ट का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन के वर्जन से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जहां—(i) धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या (ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 22 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या (iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, समझौता आयोग द्वारा धारा 245जक के अधीन निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है, वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त धारा का उसकी नई उपधारा (1) और उपधारा (2) से विद्यमान खंडों को प्रतिस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई उपधारा (1) में यह

उपबंध है कि जहां—(i) धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या (ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 22 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या (iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है, वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

खंड 62—आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेशों के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (जख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण न करने के लिए या कर संग्रहण करने के पश्चात् उसका संदाय करने में असफल रहने पर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाने वाला व्यक्ति आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ञ) के उपखंड (ख) में धारा 271ककक के अधीन आदेशों के प्रतिनिर्देश का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 271ककक के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जा सके। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी करता है कि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2007 से पूर्व धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध किसी व्यतिक्रमी निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील, आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 63—आय-कर अधिनियम की कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील से संबंधित, धारा 248 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

धारा 248 के उपबंधों में यह अधिकथित है कि जहां कोई व्यक्ति, जिसने ब्याज से भिन्न ऐसी किसी राशि की बाबत जो इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, धारा 195 और धारा 200 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती की है और संदाय किया है और जो ऐसी कटौतियां करने के अपने दायित्व से इंकार करता है, यह घोषित किए जाने के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि वह ऐसी कटौती करने के दायित्व के अधीन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कटौती किए गए या संदत्त कर की वापसी का दावा उस व्यक्ति द्वारा, जिससे कटौती की गई है और उस व्यक्ति द्वारा, जिसने कटौती की है, किया जा सकेगा।

धारा 248 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसके द्वारा आय संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात्, यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था वहां वह इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कर कटौती योग्य नहीं था।

अतः, यह उपबंध करने के लिए कि जहां अपील धारा 248 के अधीन है, वहां विहित समय की गणना कर के संदाय की तारीख से की जाएगी, धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है और 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 64—आय-कर अधिनियम की अपील के प्ररूप और परिसीमा से संबंधित धारा 249 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 249 की उपधारा (2) उन तारीखों का उपबंध करती है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना की जाएगी। उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां अपील किसी ऐसे कर के संबंध में है जिसकी कटौती धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन की गई है वहां अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना कर के संदाय की तारीख से की जाएगी।

धारा 248 के उपबंध यह अधिकथित करते हैं कि जहां किसी व्यक्ति ने ब्याज से भिन्न इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी रकम की बाबत धारा 195 और धारा 200 के उपबंधों के अनुसार कटौती की है और कर का संदाय किया है और जो ऐसी कटौतियां करने के अपने दायित्व से इंकार करता है वहां वह आयुक्त (अपील) को ऐसी कटौतियां करने के लिए दायी न होने की घोषणा किए जाने के लिए अपील कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में कटौती किए गए और संदत्त कर की वापसी का दावा, जिससे कटौती की गई है और जिसने कटौती की है, दोनों ही द्वारा किया जा सकेगा।

यह धारा 248 का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 195क में निर्दिष्ट व्यक्ति को, जिससे 'कर के जाल' के अधीन अनिवासी की आय पर भारत में कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, धारा 248 के अधीन आयुक्त (अपील) को कर का संदाय करने के दायित्व से इंकार करते हुए अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

अतः, यह उपबंध करने के लिए कि जहां अपील धारा 248 के अधीन है, वहां विहित समय की गणना कर के संदाय की तारीख से की जाएगी, धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है और 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 65—आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है जो अपील अधिकरण को अपीलों के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि धारा 12कक, धारा 263, धारा 271, धारा 272क के अधीन आय-कर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों या धारा 154 के अधीन उसके द्वारा धारा 263 के अधीन अपने आदेश का संशोधन करते हुए, पारित आदेश या धारा 272क के अधीन किसी मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील, अपील अधिकरण को होगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि संस्थाओं या निधियों के अनुमोदन से संबंधित धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 66—आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है जो अपील अधिकरण के आदेश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां अपील अधिकरण उस आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा। उक्त उपधारा (2क) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि यदि उस अपील का पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है तो रोक आदेश उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर और आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा और अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसी अपील का निपटारा रोक आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक की अवधि को विस्तारित कर सकेगा या ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; किंतु आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि

और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर उक्त अपील का निपटारा करेगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि अपील का निपटारा आरंभिक रूप से अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर या बाद में विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 67—आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है जो विवरणियां न देने, सूचनाओं का अनुपालन न करने, आय को छिपाने आदि से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ख) के उपबंधों में यह उपबंध है कि ऐसे मामले में, जिसे उक्त उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है।

उक्त स्पष्टीकरण 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जिसे उक्त स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, जिसमें अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व अग्रिम कर, स्रोत से काटे गए कर, स्रोत से संग्रहीत कर और संदत्त स्व निर्धारित कर की रकम घटाकर निर्धारित कुल रकम पर कर अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 5 में यह उपबंध है कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान, निर्धारिती के बारे में पाया जाता है कि वह किसी धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) स्वामी है और निर्धारिती यह दावा करता है कि उसने ऐसी आस्तियां,—(i) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख से पूर्व ही हो गया है, किंतु ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी उक्त तारीख से पहले नहीं दी गई है या जहां ऐसी विवरणी उक्त तारीख से पहले दी गई है वहां ऐसी आय उसमें घोषित नहीं की गई है; या (ii) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् होना है, वहां इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में घोषित कर दी है, उसके बारे में, धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियां छिपाई है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियां दी हैं। तथापि, यदि उसमें विहित कतिपय शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

उक्त स्पष्टीकरण 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 से पूर्व प्रारंभ की गई थी वहां उस मामले में ही लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

धारा 271 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 5क अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के प्रक्रम में निर्धारिती—(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है; या (ii) किसी लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय का स्वामी पाया जाता है और यह दावा करता है कि लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है। जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है तथा निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है तब इस बात के होते हुए कि ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की शुद्ध विशिष्टियां दी हैं।

खंड 68—आय-कर अधिनियम में नई धारा 271कक अंतःस्थापित किए जाने के लिए है जो कतिपय मामलों में शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित है।

उक्त नई धारा में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा। तथापि, इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि निर्धारिती—(i) तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है; (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी; और (iii) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत निर्धारिती पर उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, प्रस्तावित नई धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अप्रकटित आय से अभिप्रेत है—(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबही में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान पाए जाते हैं, प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है; या तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है; या (ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता यदि तलाशी न ली गई होती।

यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है—(i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है; या (ii) जिसमें तलाशी ली गई थी।

नई धारा का अंतःस्थापन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा। तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात आरंभ की गई धारा 132 के अधीन तलाशी के मामलों में पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 69—आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 292ग अंतःस्थापित करने के लिए है जो आस्तियों, लेखाबहियों, आदि के बारे में उपधारणा से संबंधित है।

अधिनियम में एक नई धारा 292ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पायी जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि,—

(i) ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित है;

(ii) ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु सत्य है; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 1975 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

खंड 70—आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में नए खंड (ङङखक) और खंड (ङङखख) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो बोर्ड को कतिपय नियम बनाने की शक्तियां देने वाली धारा 139ग और धारा 139घ के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 71—आय-कर अधिनियम का, नियमों और कुछ अधिसूचनाओं को संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित धारा 296 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 296 के उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

विधेयक के खंड 6 में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था को 1 जून, 2007 से छूट अनुज्ञात की जा सके जिसका अनुमोदन विहित प्राधिकारी द्वारा किया गया हो। अतः, केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

धारा 296 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन 1 जून, 2007 से पूर्व जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है और यह 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 72—आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जो कर की वसूली के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 60 निक्षेप करने पर स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन का उपबंध करता है। उक्त नियम 60 के उपनियम (1) में यह उपबंध है कि व्यतिक्रमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर विक्रय से प्रभाव पड़ता है, विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा। उक्त उपनियम (1) के खंड (क) में यह उपबंध है कि व्यतिक्रमी द्वारा वसूली, जिसके विक्रय का आदेश दिया गया है, के लिए विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट रकम, ऐसी रकम पर विक्रय की उद्घोषणा की तारीख से, उस तारीख तक, जब निक्षेप किया जाता है, संगणित पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित जमा करने के पश्चात् ऐसा आवेदन किया जा सकता है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ब्याज पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की बजाय प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा।

उक्त अनुसूची का नियम 68क व्यतिक्रमी से शोध्य रकम को चुकाने के लिए संपत्ति स्वीकार करने का उपबंध करता है। उक्त नियम 68क के उपनियम (3) में यह उपबंध है कि उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच संपत्ति की करार पायी गई कीमत व्यतिक्रमी को शोध्य रकम से अधिक है वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी रकम का व्यतिक्रमी को संपत्ति के कब्जे के परिदान की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा। जहां निर्धारण अधिकारी पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसी रकम का संदाय करने में, असफल रहता है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी कालावधि की समाप्ति से प्रारंभ होने वाली और असंदत्त रकम के संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए ऐसी रकम पर व्यतिक्रमी को छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी।

उक्त उपनियम (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ब्याज छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की बजाय प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

खंड 73—आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का संशोधन करने के लिए है, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित है।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 में यह उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा, जो उसकी राय में नियम 4 में उपवर्णित शर्तों की और बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों की पूर्ति करती है।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) के परंतुक में यह उपबंध है कि ऐसे मामले में जहां 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व की किसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (ङक) में विनिर्दिष्ट शर्तों और किन्हीं अन्य शर्तों को पूरा नहीं करती है जो बोर्ड इस निमित्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे वहां ऐसी निधि की मान्यता को वापस ले लिया जाएगा यदि ऐसी निधि 31 मार्च, 2007 को या उसके पूर्व ऐसी शर्तों को पूरा नहीं कर देती।

उपनियम (1) के उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त समय सीमा को एक और वर्ष के लिए अर्थात्, 31 मार्च, 2008 तक विस्तारित किया जा सके।

उपनियम (1) में एक और अन्य परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक की कोई बात किसी स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उक्त अनुसूची के नियम 4 में वे शर्तें वर्णित हैं जिनको मान्यता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए पूरा करने की निधि से अपेक्षा की जाती है। उक्त नियम 4 का खंड (ङक) यह उपबंध करता है कि निधि ऐसे स्थापन की होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और ऐसे स्थापन को उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्रदान की गई है।

चूंकि उक्त खंड (ङक) के उपबंध स्पष्ट नहीं हैं इसलिए उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निधि ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धन-कर

खंड 74—धन-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा 2 के खंड (गक) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध किया गया है कि, "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा आय-कर उपायुक्त या सहायक आयुक्त या आय-कर अधिकारी, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) अथवा उसके किसी अन्य उपबंध के अधीन, जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन धन-कर के प्रयोजनों के लिए लागू होता है, जारी किए गए निदेशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा संयुक्त आयुक्त भी, जिसे उक्त धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन, उस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

उक्त खंड (गक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "निर्धारण अधिकारी" की परिभाषा में अपर आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 1994 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त खंड (गक) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "निर्धारण अधिकारी" की परिभाषा में अपर निदेशक को सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन भी स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त धारा के खंड (टक) में यह उपबंध है कि भारत में दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित समझा जाएगा। उक्त परिभाषा धारा 6 के प्रयोजनों के लिए किसी अवधि के संबंध में है और 1 अप्रैल, 1963 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के

लिए कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए विधिमान्यकरण की तारीख से वर्ष में सम्मिलित किसी अवधि के संबंध में है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त खंड को एक नए खंड से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राजक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 25 अगस्त, 1976 से प्रभावी होगा।

खंड 75—धारा 22क का संशोधन करने के लिए है जो अध्याय 5क के अधीन परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि "मामला" की परिभाषा से इस अधिनियम के अधीन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए अथवा ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के रूप में ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है जो उस तारीख को जिसको धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, किसी धन-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। जहां कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन इस अधिनियम के अधीन ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया है और ग्रहण नहीं किया गया है वहां ऐसी अपील और पुनरीक्षण को इस खंड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा।

उक्त धारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मामले को इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी किसी कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया जा सके जो उस तारीख को, जिसको धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो। उसमें यह भी उपबंधित है कि—(i) धारा 17 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही; (ii) धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही; (iii) निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कोई कार्यवाही, जो धारा 37क के अधीन किसी तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर चलाई गई है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी। उक्त खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड (i) के प्रयोजनों के लिए—(i) परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाही, उस दशा में, जहां धारा 17 के अधीन कोई सूचना, धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर जारी नहीं की गई उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी जिसको धारा 17 के अधीन सूचना जारी की जाती है; (ii) परंतुक के खंड (ii) में निर्दिष्ट नया निर्धारण करने की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी जिसको धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था; (iii) परंतुक के खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, धारा 37क के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 37ख के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी; (iv) परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाही से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ और समाप्त की गई समझी जाएगी।

उक्त धारा के खंड (च) के विद्यमान उपबंधों के अधीन "उपाध्यक्ष" को समझौता आयोग के उपाध्यक्ष के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) उक्त धारा के खंड (छ) का संशोधन करने के लिए है जिससे समझौता आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत न्यायपीठ के सदस्यों में से ज्येष्ठतम सदस्य भी है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

खंड 76—धारा 22ग का संशोधन करने के लिए है जो मामलों के समझौते के लिए आवेदन से संबंधित है।

धारा 22ग की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि कोई निर्धारिती अपने से संबंधित मामले के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, ऐसा कोई आवेदन, जिसमें ऐसे धन का जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, पूरा और सच्चा प्रकटन है, ऐसी रीति को जिनसे ऐसा धन व्युत्पन्न हुआ है ऐसे धन पर संदेय धन-कर के अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट है, समझौता आयोग को मामले का समझौता करने के लिए कर सकेगा। उसमें यह उपबंधित है कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती ने धन की वह विवरणी नहीं दे दी है जिसे देना उसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अपेक्षित है या था।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त उपधारा (1) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे धन-कर और ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष शुद्ध धन की विवरणी में प्रकट की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

धारा 22ग की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि इस धारा की उपधारा (1) और धारा 22घ की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ) के प्रयोजनों के लिए, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन में प्रकट किए गए धन की बाबत संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम उपधारा (1ख) से उपधारा (1घ) के उपबंधों के अनुसार संगणित रकम होगी।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त उपधारा (1क) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा में उपधारा (2क) से उपधारा (2घ) के निर्देश का लोप किया जा सके।

धारा 22ग की उपधारा (1ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन आवेदन में प्रकट किए गए धन की बाबत संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम की संगणना की रीति दी गई है। उक्त उपधारा के अधीन, जहां आवेदन में प्रकट किया गया धन केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है वहां—(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है चाहे उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत निर्धारण किया गया हो या नहीं, तो खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले मामले को छोड़कर, आवेदन में प्रकट किए गए धन पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा धन शुद्ध धन हो; (ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी दे दी है, चाहे ऐसी विवरणी के अनुसरण में निर्धारण किया गया हो या नहीं तो विवरणी में उल्लिखित शुद्ध धन के आवेदन में प्रकट किए गए धन के योग पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग शुद्ध धन हो; (iii) यदि धन-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही धारा 17 के अधीन आवेदन के पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही की प्रकृति की या ऐसे पुनःनिर्धारण के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के रूप में कार्यवाही है और आवेदक ने पुनःनिर्धारण के लिए ऐसी कार्यवाही के दौरान उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो धारा 16 या धारा 17 के अधीन निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में यथानिर्धारित शुद्ध धन के और आवेदन में प्रकट किए गए धन के योग पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग शुद्ध धन हो।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (1ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि जहां आवेदन में प्रकट किया गया धन केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां—(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा धन शुद्ध धन हो; (ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष के शुद्ध धन की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित शुद्ध धन के और आवेदन में प्रकट किए गए धन के योग पर धन-कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग शुद्ध धन हो।

धारा 22ग की उपधारा (1ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में आवेदन में प्रकट किए गए धन की बाबत संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम—(क) इस उपधारा के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में उस खंड के अधीन संगणित धन-कर की रकम होगी, (ख) उस उपधारा के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में उस खंड के अधीन संगणित धन-कर की रकम होगी जिसमें से उस वर्ष के लिए विवरणी में उल्लिखित शुद्ध धन पर संगणित धन-कर की रकम घटा दी जाएगी; (ग) उस उपधारा के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के अधीन संगणित धन-कर की रकम होगी जिसमें से धारा 16 या धारा 17 के अधीन निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में निर्धारित शुद्ध धन पर संगणित धन-कर की रकम घटा दी जाएगी।

उक्त खंड का उपखंड (iv) उक्त उपधारा (1ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त उपधारा में खंड (ग) का लोप किया जा सके।

उक्त खंड का उपखंड (v) नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता

आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

खंड 77—धारा 22घ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 22घ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समझौता आयोग आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर तथा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों अथवा उसमें अंतर्ग्रस्त अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समझौता आयोग जहां तक संभव हो उस मास के जिसमें धारा 22ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा। उसमें यह उपबंध है कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया हो। यह भी उपबंधित किया गया है कि आयुक्त उस तारीख को जिसको राष्ट्रपति वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 पर अनुमति देता है, धारा 22ग के अधीन किए गए सभी आवेदनों की दशा में, समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा और यदि आयुक्त उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना आदेश कर सकेगा।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त उपधारा का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर एक आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर करेगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा।

धारा 22घ की उपधारा (2क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि उपधारा (2ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने वाले आदेश की प्रति की प्राप्ति से पैंतीस दिन के भीतर आवेदन में प्रकट किए गए धन पर संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा और ऐसा संदाय का सबूत समझौता आयोग को देगा।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उपधारा (2क) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से पूर्व थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे आवेदन में प्रकट किए गए धन पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है। उक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि- इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी।

धारा 22घ की उपधारा (2ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि यदि समझौता आयोग का निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि वह उपधारा (2क) में निर्दिष्ट धन-कर की अतिरिक्त रकम का संदाय उस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में अच्छे और पर्याप्त कारणों से असमर्थ है तो वह ऐसी रकम के, जो असंदत्त रह गई है, संदाय के लिए समय बढ़ा सकेगा या उसका संदाय किस्तों में अनुज्ञात कर सकेगा, यदि निर्धारिती उसके संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देता है।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उपधारा (2ख) का संशोधन करने लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) ऐसे आवेदक की बाबत जिसे, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर; या (ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत जो उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व, आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा।

धारा 22घ की उपधारा (2ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि जहां धन-कर के अतिरिक्त रकम का संदाय उपधारा (2क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है वहां समझौता आयोग ने ऐसी रकम के, जो असंदत्त रह जाती है, संदाय के लिए समय को बढ़ाया है या नहीं अथवा उपधारा (2ख) के अधीन किस्तों में उसका संदाय अनुज्ञात किया है या नहीं, निर्धारिती असंदत्त रह गई रकम पर उपधारा (2क) में निर्दिष्ट पैंतीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उपधारा (2ग) का संशोधन करने लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सामग्री के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा, यदि आवश्यक हो, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगा। उसमें यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा।

धारा 22घ की उपधारा (2घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि जहां उपधारा (2क) में निर्दिष्ट धन-कर के अतिरिक्त रकम का संदाय, निर्धारिती, यथास्थिति, उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट या उपधारा (2ख) के अधीन बढ़ाए गए समय के भीतर नहीं करता है वहां समझौता आयोग यह निदेश दे सकेगा कि असंदत्त रह गई धन-कर की रकम उपधारा (2ग) के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित, ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा धन-कर की ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम के लिए कोई शास्ति, अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित और वसूल की जाए।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उपधारा (2घ) का संशोधन करने लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने के पूर्व थे, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था वहां ऐसा आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा यदि ऐसे आवेदन में घोषित की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है।

धारा 22घ की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया जाता है वहां समझौता आयोग आयुक्त से सुसंगत अभिलेख मांग सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो वह आयुक्त के ऐसी अतिरिक्त जांच या अन्वेषण करने या कराने तथा आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामलों में संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) ऐसे आवेदन की बाबत जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है ; या (ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में आगे कोई जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा। उसमें यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

धारा 22घ की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि अभिलेख की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आयोग की रिपोर्ट की तथा उपधारा (3) के अधीन प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा आयुक्त को, स्वयं या उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए, या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात् समझौता आयोग आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है, किन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आयुक्त की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि अभिलेख और आयुक्त की,—(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या (ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन के पूर्व थे,के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे और अतिरिक्त साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय पर या मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट या रिपोर्टों में उल्लेख है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

धारा 22घ की उपधारा (4क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि समझौता आयोग, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में, जहां संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त उपधारा (4क) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि समझौता आयोग,—(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व; (ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर, उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (6क) ऐसी रकम पर जो संदाय करने से रह गई है, पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के निर्धारिती के दायित्व का उपबंध करती है। यह मासिक आधार पर ब्याज की संगणना की रीति को परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती है।

उक्त खंड का उपखंड (iv) यह उपबंध करने के लिए है कि पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की संगणना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 78—धारा 22घघ का संशोधन करने के लिए है, जो राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की का आदेश देने की समझौता आयोग की शक्ति से संबंधित है।

धारा 22घघ की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनंतिम कुर्की, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी। उसमें यह भी उपबंध है कि समझौता आयोग, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पूर्वोक्त अवधि को इतनी और अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे, किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस शर्त का लोप किया जा सके कि बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 79—धारा 22ङ का संशोधन करने के लिए है, जो पूरी की गई कार्यवाहियों को पुनः आरंभ करने की समझौता आयोग की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि यदि समझौता आयोग की यह राय है कि उसके समक्ष लंबित मामले को उचित रूप से निपटाने के लिए उस मामले से संबद्ध किसी कार्यवाही को, जो धारा 22ग के अधीन आवेदन किए जाने के पूर्व किसी धन-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूरी कर दी गई थी और पुनः आरंभ करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आवेदक की सहमति से ऐसी कार्यवाही पुनः आरंभ कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे, मानो उस मामले के अंतर्गत, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा उस धारा के अधीन की, जिसमें समझौते के लिए आवेदन किया गया है, ऐसी कार्यवाही की जाती है। उसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि समझौता आयोग द्वारा कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन पुनःआरंभ नहीं की जाएगी, यदि जिस निर्धारण वर्ष की, जिससे वह कार्यवाही संबंधित है, उसकी समाप्ति और धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन की तारीख के बीच की अवधि नौ वर्ष से अधिक है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे मामलों के संबंध में लागू नहीं होंगे जहां आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 80—धारा 22च का संशोधन करने के लिए है, जो समझौता आयोग की शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 245च की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन पर कार्यवाही का किया जाना धारा 245घ के अधीन अनुज्ञात किया गया है, वहां समझौता आयोग को, धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने तक, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन धन-कर प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने की अनन्य अधिकारिता होगी।

उक्त उपधारा का एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी। उक्त उपधारा में यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां—(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है; या (ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 22घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ख) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है; या (iii) किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको, यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा, यथास्थिति, अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 81—धारा 22ज का संशोधन करने के लिए है, जो समझौता आयोग की अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति देने की शक्ति से संबंधित है।

धारा 22ज की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में उसके साथ सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन का और उस रीति का, जिससे वह धन अर्जित किया गया है, पूरा और सही प्रकटन किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, समझौते के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से (पूर्णतः या भागतः) उन्मुक्ति दे सकता है। उसमें यह भी उपबंध किया गया है कि समझौता आयोग उन मामलों में ऐसी उन्मुक्ति नहीं देगा, जहां धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पूर्व किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए कार्यवाहियां संस्थित कर दी गई हैं।

उक्त उपधारा का एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 82—नई धारा 22जक अंतःस्थापित करने के लिए है। यह समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही के उपशमन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि—(i) धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है; या (ii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए या उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है; या (iii) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या (iv) धारा 22ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है, वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा। एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे "विनिर्दिष्ट तारीख" के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है—(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था; (ख) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007; (ग) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसमें वह तारीख, जिसको आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था; (घ) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय या अवधि समाप्त हो जाती है।

नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन हो जाता है वहां निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही आवेदन करने के समय लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 22ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो।

नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 17क, धारा 32 और धारा 35 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और उपधारा (2) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 34क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए धारा 22ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

यह खंड, नई धारा 22जकक अंतःस्थापित करने के लिए भी है जो कार्यवाहियों के समापन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 22ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर नहीं किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 22घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है अथवा धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 22घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय से पहले पारित नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण करने में या धारा 22जक के उपबंधों के अनुसार कार्यवाहियां पूरा करने में, आवेदन करने से पूर्व या समझौता आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

खंड 83—धारा 22ट को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कुछ मामलों में समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन के वर्जन से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जहां—(i) धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या (ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या (iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, समझौता आयोग द्वारा धारा 22जक के अधीन निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है, वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त धारा का, उसके विद्यमान खंडों को नई उपधारा (1) और उपधारा (2) से प्रतिस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां—(i) धारा 22घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या (ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या (iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा जाता है, वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 22घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 22ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

खंड 84—धन-कर अधिनियम में आस्तियों, लेखाबहियों आदि के बारे में उपधारणा से संबंधित धारा 42घ अंतःस्थापित करने के लिए है।

धन-कर अधिनियम में नई धारा 42घ अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं तो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जा सकेगी कि,—

(i) ऐसी बहियां या अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनके अंतर्गत धन भी है, ऐसे व्यक्ति की हैं ;

(ii) ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सही हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और किसी स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 1975 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।